



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092022-239104
CG-DL-E-24092022-239104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4332]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 24, 2022/आश्विन 2, 1944

No. 4332]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2022/ ASVINA 2, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2022

का.आ. 4521(अ).—त्रिपुरा राज्य से राज्य सभा के उस स्थान को, जो डॉ. माणिक साहा की उनकी पदावधि, जो तारीख 2 अप्रैल, 2028 को सम्मिलित करते हुए 2 अप्रैल, 2028 तक थी, के अवसान से पूर्व तारीख 4 जुलाई, 2022 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था, भरने के लिए एक निर्वाचन किया गया था।

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें त्रिपुरा राज्य से राज्य सभा के स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :--

घोषणा

त्रिपुरा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूँ कि **श्री बिप्लब कुमार देब** (नाम), नॉन-टाइप - IV क्वार्टर डॉ.एस.पी. मुखर्जी लेन, अगरतला, त्रिपुरा (पश्चिमी) (पता), जिसे **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यता

प्राप्त राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है, उस सदन में श्री माणिक साहा द्वारा तारीख 04.07.2022 को त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

ह./-

(एस. मोग)

स्थान : अगरतला।

त्रिपुरा, राज्य सभा के उप-निर्वाचन हेतु

तारीख : 22.09.2022

रिटर्निंग आफिसर।”

[फा. सं. एच-11024/5/2021-वि.2]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2022

S.O. 4521(E).—WHEREAS an election was held to fill the seat in the Council of States from the State of Tripura which fell vacant on the 04th July, 2022 by the reason of the resignation of Dr. Manik Saha, before the expiration of his term of office which was up to and including 2nd April, 2028;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration, containing the name of the candidate elected to fill that seat in the Council of States from the State of Tripura, is published for general information:—

Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Tripura.

“In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that - **Shri Biplab Kumar Deb** (Name) Non-Type – IV Qtr. Dr. S.P. Mukherjee Lane, Agartala, Tripura (W) (Address) sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognised Political Party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the resignation of **Shri Manik Saha on 04-07-2022**.

Sd/-

(S. Mog)

Returning Officer

Place: Agartala.

for Bye-Election to the

Date: 22-09-2022

Council of States, Tripura.”

[F. No. H-11024 /5/2021-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel